


Bilingual assistance is available in Bengali/Bangla (বাংলা), Cantonese (廣東話), English, Hindi (हिंदी), Korean (한국어), Mandarin (普通話), Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ), Tagalog, Urdu (اردو), and Vietnamese (tiếng Việt)



आपको मतदाता (वोटिंग) बूथ में सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

हम अपने आप मतदान करनेमें दिक्कत महसूस करते हैं। मतदान में सहायता करने के लिए क्या हम मतदान बूथ में अपने साथ किसी को ला सकते हैं ?

हाँ आपको मतदान बूथ में अपनी सहायता करने के लिए किसी को लाने का अधिकार है। यह व्यक्ति एक मित्र, रिश्तेदार या आपके भरोसे का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह व्यक्ति आपका बाँस या आपके श्रम संघ का एक प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

कौन सा क़ानून हमें यह अधिकार देता है?

अगर आपको मतदानमें सहायताकी ज़रूरत हो तो मतदान अधिकार अधिनियम (VRA) की धारा 208 हर मतदाता को मतदान बूथ में अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को साथ लाने का अधिकार देती है।

क्या आप जानते हैं?

- ♦ अपने मतदान (वोट) में सहायता के लिए - आप अपने परिवार का कोई सदस्य, कोई पड़ोसी या अपने समुदाय के किसी भी विश्वासु व्यक्ति को जिस पर आप विश्वास करते हैं, को साथ ला सकते हैं।

हमें कैसे पता चलेगा कि इस क़ानूनका फायदा कौन ले सकते हैं ?

यदि आपकी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं है और आपको अंग्रेज़ी समझने में मुश्किल होती है, तो आप इस क़ानूनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप नेत्रहीन हैं या ठीक से देख नहीं पाते हैं, कोई विकलांगता है या अंग्रेज़ी पढ़ने - लिखने में परेशानी होती है तबभी आप यह कानूनका फायदा ले सकते हैं।

मतदानमें हमारी सहायता करने के लिए किसी को साथ लाने के लिए चुनाव के दिन हमें क्या करना होगा?

आप अपने सहायक व्यक्ति को मतदान केंद्र पर अपने साथ ले जाएँ और चुनाव अधिकारियों को बताएँ कि आपने इस व्यक्ति को आपकी मतदान में सहायता करने के लिए चुना है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत हो सकती है। इसमें लिखा होता है कि आपको अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने, लिखने या समझने में मुश्किल होती है और आपने इस व्यक्ति से सहायता करने के लिए कहा है। आपकी सहायता कर रहे इस व्यक्ति को भी एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत हो सकती है कि वह शपथ ग्रहण करता है कि उसने आपको मतदान देनेके लिये किसी प्रकारका दबाव नहीं किया है।

अगर वे मतदान बूथमें हमारे साथ किसी को लाने की अनुमति नहीं देते तो हमें क्या करना चाहिए?

कुछ चुनाव अधिकारी VRA की धारा 208 के बारे में नहीं जानते हैं। यदि आप अपनी सहायता के लिए किसी को साथ लाएँ हैं और एक चुनाव अधिकारी उनको आपकी सहायता नहीं करने दे रहा है तो उस चुनाव अधिकारी को यह प्रचार-पत्र दिखाएँ। यदि वह चुनाव अधिकारी अभी भी उस व्यक्ति को आपको मतदान में सहायता नहीं करने दे रहा है तो मतदान स्थल पर मौजूद सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी से बात करें या हमारी हॉटलाइन पर कॉल करें: 1-888-API-VOTE.

1-888-API-Vote: : मतदान दिवस पर अपनी भाषा में सहायता के लिए फोन करें

सीमित अंग्रेज़ी भाषी मतदाताओं के लिए मतदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया

www.advancingjustice-aaic.org/voting-rights पर जाएँ